


बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
बिहार कौशल विकास मिशन
आदेश

बिहार कौशल विकास मिशन, श्रम संसाधन विभाग के द्वारा सात निश्चय योजना के अंतर्गत कुशल युवा कार्यक्रम (KYP) कोर्स का क्रियान्वयन किया जा रहा है। सभी कुशल युवा केंद्रों के लिए बिहार कौशल विकास मिशन की दिशा निर्देश निर्धारित हैं। इस दिशा निर्देश के आधार पर कुशल युवा केंद्रों (KYP) का संचालन किया जाता है। कुशल युवा केंद्रों पर जिला नियोजन पदाधिकारी एवम जिला कौशल प्रबंधक के द्वारा केंद्रों का निरीक्षण किया जाता है तथा जिन केंद्रों पर त्रुटि पायी जाती है, तो उन पर बिहार कौशल विकास मिशन के निर्धारित मापदंड के आधार पर कार्रवाई भी की जाती है।


अतएव आदेश दिया जाता है कि यदि कोई भी कुशल युवा केंद्र छह महीने से बंद है अथवा छह महीने से अपने केंद्र की त्रुटि का निवारण नहीं कर रहे तो उन केंद्रों को रद्द करते हुए उनका Centre Code निष्क्रिय कर दिया जाएगा।


(सुरेश कुमार सिंह)
मिशन निदेशक
बिहार कौशल विकास मिशन

ज्ञापांक:- BSDM/SDM-94/2019(Part-1)- 2329

दिनांक:- 03/10/2024

- प्रतिलिपि – सभी केंद्र संचालक, कुशल युवा केंद्र, बिहार कौशल विकास मिशन, बिहार को सूचनार्थ एवम आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. Project Director MKCL/ Project Director E&Y को सूचनार्थ एवम आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
 3. मिशन प्रबंधक, परियोजना एवं मिशन प्रबंधक, वित्त एवं लेखा बिहार कौशल विकास मिशन अरे सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
 4. अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी बिहार कौशल विकास मिशन को सूचनार्थ प्रेषित।
 4. सचिव, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।


मिशन निदेशक
बिहार कौशल विकास मिशन